समकालीन भारत एवं शिक्षा (1)

प्रश्न-1 भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर - भूमिका - प्रत्येक संविधान की अपनी विशेषताएं होती है, जिन्हें देखकर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी हो सकती है। यही बात भारत के संविधान के बारे में कही जा सकती है। जो हम भारत के लोगों ने भारत के लोगों के लिए बनाया है। इन विशेषताओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:-

1 उपयोजनशीलताएं - संविधान निर्माता अपने देश की आवश्यकताओं लोगों की आकांक्षाओं तथा समकालीन परिस्थितियों से अवगत थे। अतः उन्होंने अन्य देशों के संविधानों की उन व्यवस्थाओं व संस्थाओं को लिया जो अपने देश के लिए उपयुक्त व उपयोगी हो सकती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था अमरीका से ली गयी। कनाडा के नमूने का संघ शासन स्थापित किया गया तो निदेशक सिद्धान्तों का विचार आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया।

2. निर्मित व लिखित संविधान :- हमारा संविधान लम्बे विकास की देन है, जैसा हम ब्रिटिश संविधान के बारे में देखते है। संविधान सभा ने इसे बनाया है, जिसमे कुल 389 सदस्य थे, किन्तु देश के विभाजन के बाद उनकी संख्या घट गयी थी। इसमें लगभग तीन वर्ष का समय लगा। इसके अतिरिक्त यह विश्व का सबसे अधिक लिखित संविधान है। प्रस्तावना के बाद इसमें 395 अनुच्छेद है, जो 22 भागों में समाहित हैं अन्त में अनुसूचियां हैं जिनकी संख्या पहले आठ थी किन्तु अब बारह है।

Scanned with CamScanner

3. प्रभुसत्तासम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र :- इसने भारत को 'प्रभुतासम्पन्न राज्य' बना दिया। अब भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। इसने लोकतान्त्रिक समाजवाद को मान्यता दी है। भारत धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात यहाँ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता।

4. संसदीय शासन प्रणाली — भारत में संसदीय शासन प्रणाली है इसलिए राष्ट्रपति को राजाध्यक्ष बनाया गया है, जिसकी सत्ता नाममात्र की है। वास्तविक सत्ता मन्त्रिपरिषद के पास है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

5. एकीकृत न्यायपालिका — संघीय व्यवस्था में केन्द्र व प्रान्तों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है ताकि दोनों सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में काम कर सकें। प्रान्तों की अपनी न्यायपालिका होती है, लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय को शिखर पर रखा गया है, राज्यों के उच्च न्यायालय उसके नीचे हैं।

6. न्यायिक समीक्षा — सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को यह शक्ति दी गई है कि वे राज्य के किसी चुनौती दिये गए कानून या आदेश की समीक्षा करें तथा उसे असंवैधानिक होने की स्थिति में रद्द कर दें। चूंकि उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, अतः सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अन्तिम है।

7. मौलिक अधिकार व कर्तव्य :- संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों की विस्तृत सूची दी गयी है।

ये अधिकार 6 प्रकार के हैं — जैसे समानता का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

8 सहयोगी संघवाद — भारत में संघीय व्यवस्था है जिसमें अमेरिका की तरह सबल केन्द्र स्थापित किया गया है। राज्यों की स्थिति उतनी शक्तिशाली नहीं है। केन्द्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। यदि कोई आपत्ति पैदा होती है, तो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्यानुसार उसका निराकरण किया जा सकता है।

9. राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्त :—
संविधान के चौथे भाग में निदेशक सिद्धान्त दिए गए हैं, जिनका ध्येय भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतन्त्र स्थापित करना है। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्त हैं — राज्य सभी को रोजगार के पर्याप्त अवसर जुटायेगा राष्ट्र के संसाधनों का सभी के हित में उपयोग किया जायेगा, समान कार्य के बदले में समान वेतन मिलेगा काम की मानवीय दशाएँ स्थापित की जायेंगी। सभी को काम व शिक्षा का अधिकार मिलेगा, सारे देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जायेगा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति का कल्याण किया जायेगा, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण होगा तथा भारत अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की नीति अपनायेगा।

10. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण — मूल संविधान में केन्द्र व राज्यों के शासन के बारे में प्रावधान थे।

Scanned with CamScanner

9650091628 ~~[illegible]~~ (5)

लेकिन 1992 के संविधान संशोधनों ग्राम पंचायतों व नगरपालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। 11वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं को 18 कार्य दिए गए हैं।

11. द्वि - सदनवाद —

संसद में दो सदन हैं लोकसभा पहला या निचला सदन है जिसके सदस्यों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया जाता है। राज्यसभा दूसरा या उच्च सदन है जिसके सदस्यों का राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुनाव किया जाता है। राज्यसभा स्थाई सदन है जिसके एक- तिहाई सदस्य हर दो वर्ष बाद हट जाते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, जिसे आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष :—

हमारा संविधान हमारे राष्ट्र का आधार स्तम्भ है। 1950 में इसका उद्घाटन हुआ और तभी से चला आ रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान समय में इसके क्रियान्वयन में गिरावट आई है। आज भारत को इससे बड़ी अन्य कोई आवश्यकता नहीं है कि ईमानदार लोग हों जो देश के हित को अपने समक्ष रखें।

समकालीन भारत एवं शिक्षा

प्रश्न- राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।

उत्तर- भूमिका - भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह कि इसके अन्तर्गत राज्य नीति के निर्देशक तत्व के नाम से राज्य के पथ-प्रदर्शन के लिए कुछ तत्वों या सिद्धान्तों की व्यवस्था की गयी है। इन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के चतुर्थ भाग में किया गया है। संविधान के निर्माताओं के नीति-निर्देशक तत्वों के माध्यम से एक दिशा की ओर संकेत किया है, जिसका अनुसरण केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कानून निर्माण और प्रशासन के सम्बन्ध में किया जाना चाहिए। सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से इनका महत्व अधिक है। इनका लक्ष्य है - आर्थिक और सामाजिक न्याय या दूसरे शब्दों में आर्थिक और सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना।

नीति निर्देशक सिद्धान्तों का वर्गीकरण -

राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान की धारा 38 से 51 तक किया गया है। जो निम्न प्रकार से है -

1. आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी नीति निर्देशक तत्व - भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य भारत में लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इस दृष्टि से जिन तत्वों के द्वारा आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है, वे इस प्रकार हैं -

1. राज्यों पुरुषों और स्त्रियों सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा।

Scanned with CamScanner

2. राज्य पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा।
3. राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियन्त्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा, जिससे अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके।
4. राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा की सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से केन्द्रीयकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किस प्रकार का नुकसान पहुचे।
5. राज्य श्रमिक पुरुषो और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का आर्थिक परिस्थितिवश दुरुपयोग न होने देगा।
6. राज्य बालको को स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ प्रदान करेगा।
7. राज्य यह प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियो को अपने अनुकूल अवस्थाओं मे ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसुतावस्था मे कार्य न करना पड़े।
8. राज्य न केवल व्यक्तियो की आय उनके सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों सम्बन्धी भेदभाव को कम करने का प्रयत्न करेगा।

(2) कृषि, कुटीर उद्योग और ग्राम पंचायतो सम्बन्धी नीति निर्देशक तत्व -

1. राज्य वैज्ञानिक आधार पर कृषि और उससे सम्बन्धित कार्यों की व्यवस्था करेगा।
2. राज्य पशुपालन की आधुनिक प्रणालियों का प्रचलन करेगा और गायों, बछड़ो तथा अन्य दूध देने वाले और यातायात

मे काम आने वाले पशुओं की नस्लों के सुधार तथा उनके बच्चे पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास करेगा।

3. राज्यों गावों मे व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन देना।

4. राज्य कृषि और उद्योगों मे लगे हुए मजदूरो को अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त वेतन प्राप्त हो सके, उनका जीवन स्तर सुधर हो सके, वे अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर सके और उनको सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के अवसर प्राप्त हो सके।

5. राज्य ग्राम पंचायतो का संगठन करने के लिए प्रयत्न करेगा और उन्हे स्वायत्त शासन की इकाई के रूप मे कार्य करने के योग्य बनाएगा।

(3) स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण सम्बन्धी निर्देशक तत्व —

1. राज्य अपने नागरिकों का पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने का प्रयत्न करेगा तथा मादक द्रव्यों के प्रयोग को, केवल चिकित्सा के उपयोग को छोड़कर प्रतिबन्धित करेगा।

2. राज्य संविधान लागू होने के दस वर्ष की अवधि के अन्दर चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बालक - बालिकाओं के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।

3. राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का वन तथा वन्य जीवो की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

Scanned with CamScanner

(4)

(4) न्याय सामाजिक हित और स्मारकों की रक्षा से सम्बन्धित नीति निर्देशक तत्व –

1. राज्य लोक सेवाओं में न्याय पालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठायेगा।
2. राज्य देश के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा।
3. कानून व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय की प्राप्ति में सहायक हो और उचित व्यवस्था, योजना या अन्य किसी प्रकार से समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा जिससे आर्थिक रूप से असमर्थ या अन्य किसी कारण से व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे।
4. राज्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा अन्य सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।
5. राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का हर प्रकार से संरक्षण करेगा।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा से सम्बन्धित नीति निर्देशक तत्व –

1. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।
2. राज्य, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करेगा।

Scanned with CamScanner

3. राज्य, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति सम्मान विकसित करने का प्रयत्न करेगा।

4. राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।

निष्कर्ष :- उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि नीति-निर्देशक सिद्धान्तों में संविधान सभा की आर्थिक और सामाजिक नीति बोल रही है और उसमें हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा ही अभिव्यक्त है इसलिए हमारे न्यायालयों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे मौलिक अधिकारों सम्बन्धी उपबन्धों की व्याख्या करते समय राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का पूरा-पूरा ध्यान रखें। ये वे आदर्श हैं, जिनकी पूर्ति का सरकार को प्रयत्न करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

समकालीन भारत तथा शिक्षा

प्रश्न - शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 की विस्तृत विवेचना कीजिए।

उत्तर - भूमिका - भारत में शिक्षा देने का कार्य प्राचीन काल से ही चला आ रहा है उस समय शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल उच्च वर्ग को ही था। परन्तु निम्न वर्गों को शिक्षा अर्जित करने का अधिकार नाम मात्र का था। जैसे ही भारत आजाद हुआ तब स्वतन्त्र भारत की अनेक मौलिक नीतियों में शिक्षा को स्थान दिया गया परन्तु शिक्षा सभी वर्गों तक नहीं पहुँच पाई।

सभी को शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009' लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित किया और राज्यसभा में यह प्रस्ताव 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। इसे संविधान की धारा 21 'A' में रखा गया। यह 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप में प्रदान की जाती है। इस विधेयक में सभी के लिए अलग-अलग अधिकारों का प्रावधान है जो उन्हें शिक्षा के क्षेत्र मजबूती प्रदान करते हैं।

1. बच्चों के अधिकार
2. अध्यापकों के उत्तरदायित्व
3. विद्यालय प्रशासन के उत्तरदायित्व
4. पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन संबंधी अनिवार्यता
5. अन्य अधिकार

Scanned with CamScanner

1. बच्चों के अधिकार - शिक्षा के अधिकार नियम के तहत बच्चों को अनेक अधिकार प्राप्त हुए जो इस प्रकार हैं -

(क) 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी।

(ख) विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की कोई फीस या शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(ग) बच्चों को प्रवेश उनकी आयु के अनुसार दिया जाएगा।

(घ) ऐसे बच्चों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ङ) बच्चों को नजदीकी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा।

(च) शिक्षा या प्रवेश के समय सभी जन्म प्रमाण पत्र बाधा का कार्य नहीं करेंगे अर्थात् इनके अभाव में बच्चे को शिक्षा या प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।

(छ) बच्चे का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है।

2. अध्यापकों के उत्तरदायित्व - शिक्षा का अधिकार अधिनियम में अध्यापकों की भूमिका ही नहीं अपितु कुछ उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं -

(क) अध्यापक समय पर विद्यालय पहुँचे।

(ख) वह विद्यालय में नियमित रहे।

(ग) अपनी कक्षा का पाठ्यक्रम समय एवं उचित रूप से करवाएँ।

Scanned with CamScanner

(घ) पाठ्यक्रम से संबंधित नवीन जानकारी प्रदान करें।
(ङ) विषय वस्तु को रुचिकर बनाये।
(च) बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करें।
(छ) बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन न पढ़ाएं।
(ज) बच्चों को विद्यालय संबंधित अतिरिक्त रखें।
(झ) विषय-वस्तु को सरल करके पढ़ाएं।
(ञ) निर्धारित कार्य दिवसों में अध्यापन करवाएं।

3. विद्यालय प्रशासन के उत्तरदायित्व - शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रशासन की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व इस प्रकार है -

(क) विद्यालयों को 25% गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा।
(ख) दाखिले के समय कोई भी फीस नहीं ली जा सकती।
(ग) यदि विद्यालयों में स्क्रीनिंग की जाती है तो विद्यालयों पर जुर्माना लगाया जायेगा जो 25000 से लेकर 50,000 रू० तक होगा।
(घ) जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।
(ङ) वर्ष के किसी भी समय बच्चों को प्रवेश दिया जा सकता है।
(च) बच्चों को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जा सकता।
(छ) सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना।
(ज) स्कूल प्रबन्धन समिति का निर्माण करना जिनमें अभिभावकों को शामिल किया जाएगा।
(झ) समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

4. पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन संबंधी अनिवार्यता –

(क) प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(ख) पाठ्यक्रम में संविधान के मूल्यों को शामिल किया जाएगा।

(ग) बच्चों का विकास करने वाला पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा।

(घ) बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा।

(ङ) बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाएगा।

(च) बच्चों के लिए निर्देशन का माध्यम मातृभाषा को बनाया जाएगा।

(छ) बच्चों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा।

(ज) बच्चों में खोज की प्रवृत्ति विकसित की जाएगी।

(5) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्य अधिकार –

(क) सरकार आस-पास के क्षेत्रों में अधिक से अधिक विद्यालयों की स्थापना करेगी।

(ख) विद्यालयों की समय-समय पर सरकार द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

(ग) किसी भी विद्यालय में अध्यापक विद्यार्थियों को दंड नहीं देंगे।

(घ) विद्यालयों की स्थापना से पहले कुछ मानक निर्धारित किए जाएंगे जिनको पूरा करने का कार्य सरकार का होगा।

(ङ) विद्यालय प्रबन्धन समिति में 50% महिलाएँ होंगी।

(च) अध्यापकों की समस्याओं का समय पर ही हल किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

निष्कर्ष :— सारांश में हम कह सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में Act-2009 से शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार होगा ताकि सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सकें। इससे भारत की साक्षरता दर में वृद्धि होगी। सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त होंगे। अतः शिक्षा अधिकार अधिनियम शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इससे गरीब एवं वंचित वर्ग को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो रहा है।

Scanned with CamScanner